समयबद्ध

संख्या-6/2015/बी-1-3507/दस-2015-40/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
(बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा,
अल्पसंख्यक कल्याण, खेलकूद, भाषा, पशुधन विभाग)।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 07 सितम्बर, 2015

विषयः-राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खातों का रख-रखाव।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-बी-1-1216/दस-2002-40/2002, दिनांक 31 मार्च, 2002 द्वारा राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन से की जाने वाली भविष्य निर्वाह निधि खातों की कटौतियों की धनराशि को लोक लेखा में जमा किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। लेखाशीर्ष ''8338-स्थानीय निधियों की जमा'' के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2002 को जमा भविष्य निधि की धनराशि का सम्परीक्षित विवरण प्राप्त होने के उपरान्त उसे लेखाशीर्ष ''8009-राज्य भविष्य निधि-60-अन्य भविष्य निधियाँ-103-अन्य विविध भविष्य निधियाँ'' के अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में स्थानान्तरित की जानी थी और सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा विभागीय कार्यालयों के स्तर पर भविष्य निर्वाह निधि खातों के रख-रखाव, तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभिन्न स्तरों पर दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा जारी किये जाने की अपेक्षा भी उक्त शासनादेश में की गयी थी। प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के प्रस्तर-8 व 12 के अनुसार कार्यवाही हेतु वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर दिनांक 05 अगस्त, 2003, 13 जुलाई, 2006, 30 मई, 2011 एवं 22 सितम्बर, 2011 द्वारा इस सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के अनुसार भविष्य निर्वाह निधि खातों के समुचित रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभागों के स्तर से प्रभावी कार्यान्वयन हेतु वित्त विभाग द्वारा दिनांक 29 जून, 2015 को सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों के साथ की गयी समीक्षा बैठक में प्रशासकीय विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार कतिपय प्रशासकीय विभागों द्वारा शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के अनुसार अभी तक संस्थाओं और विभागीय कार्यालयों के स्तर पर लेखों के रख-रखाव एवं लेखा मिलान हेतु दायित्व निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत आदेश जारी नहीं किये गये हैं और लेखाशीर्ष ''8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा'' के अन्तर्गत रखे जा रहे खातों के बैलेंसेज के आडिट का कार्य भी अभी पूर्ण नहीं है तथा विभागीय खाता संचालन अधिकारियों द्वारा भविष्य निधि लेखों का कोषागारों से नियमित मिलान नहीं कराया जा रहा है।

3- उपर्युक्त स्थिति के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खातों के रख-रखाव के सम्बन्ध में निम्नवत् कार्यवाही सुनिश्चित की जाय-

i. शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2002 के प्रस्तर-12 में अपेक्षित दायित्व निर्धारण सम्बन्धी विस्तृत आदेश तत्काल जारी कर उससे वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

ii. राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के भविष्य निर्वाह निधि के लेखाशीर्ष ''8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा'' के अन्तर्गत पूर्व में संचालित भविष्य निधि के अभिलेखों को पूर्ण कराकर स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग से सम्प्रेक्षण का कार्य विलम्बतम् आगामी छः माह की अवधि में पूर्ण करा लिया जाये और इन खातों के बैलेन्सेज को लेखाशीर्ष ''8009-राज्य भविष्य निधि-60-अन्य भविष्य निधियाँ-103-अन्य विविध भविष्य निधियाँ'' के अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में अनुरक्षित खातों में ट्रांसफर की कार्यवाही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अन्त तक सुनिश्चित किया जाये।

iii. सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव तथा विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ मासिक/त्रैमासिक बैठकों में विभागीय एजेण्डा बिन्दु के रूप में राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि खातों का लेज़र एवं ब्राडशीट का रख-रखाव तथा कोषागार से प्रतिमाह मिलान कार्य की प्रगति की निरन्तर समीक्षा की जाये।

सम्बन्धित विभागों द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही की प्रगति से प्रत्येक माह की 15 तारीख तक वित्त विभाग को संलग्न प्रपत्र पर सूचना उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या-6/2015/बी-1-3507(1)/दस-2015-40/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।
2. सम्बन्धित विभागों के वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी।
3. निदेशक, आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-6/2015/बी-1-3507(2)/दस-2015-40/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश द्वारा कोषाधिकारियों/अपर निदेशक, कोषागारों के साथ विभागीय बैठकों में मिलान कार्य की नियमित समीक्षा की जाय।

आज्ञा से,

मुकेश मित्तल
सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-6/2015/बी-1-3507/दस-2015-40/2015, दिनांक 07 सितम्बर, 2015 का संलग्नक

राज्य निधि से सहायता प्राप्त संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों के रख-रखाव के सम्बन्ध में सूचना

1- प्रशासकीय विभाग का नाम- .....

2- प्रशासकीय विभाग द्वारा जी0पी0एफ0 खातों के रख-रखाव के दायित्व निर्धारण हेतु जारी आदेश संख्या व दिनांक (प्रति संलग्न करें) .....

3- जी0पी0एफ0 खातों के रख-रखाव एवं उसके कोषागार से नियमित मिलान हेतु उत्तरदायी विभागीय अधिकारी .....

4- लेखाशीर्ष ''8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा'' के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2002 को जमा धनराशि की सम्परीक्षा (आडिट) की स्थिति .....

5- दिनांक 31 मार्च, 2002 को लेखाशीर्ष ''8338-स्थानीय निधियों की जमा-104-अन्य स्वायत्त निकायों की जमा'' में जमा जी0पी0एफ0 की धनराशि का लेखाशीर्ष ''8009-60-103'' में स्थानान्तरित किये जाने की स्थिति .....

हस्ताक्षर
व पदनाम

अभ्युक्ति-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।